

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- 07-31 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार

वनाम वकल महतो वगैरह


आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं दिग्गामी तथीय सचिव
---------------------------	---------------------------------	--


अभिलेख सं०-एम 31 / 2019 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं०- 11/19 दिनांक- 02/4/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दिनांक- 06/5/19 की लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांति भंग होने की सम्भावना है।


जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरारों/उजरो प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उररी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 10/05/19 को उपस्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
03/05/19  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

  
03/05/19  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई एवं तारीख सहित
25-05-19	<p>अभिलेख उपस्थापित । दिनांक पर क्रमांक 07 अधिवक्ता हाजरी अन्य सभी उपस्थित । लोक सभा चुनाव 2019 सम्पन्न रूप से सम्पन्न हो गया है। अतः बाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">                   25/05/19             </p>	